न्यायालयः–सत्रहवे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (म0प्र0)
{ समक्ष–गौतम भट्ट }

Motor Accident Claim Case No.- 685/2017
Ragistration Date-19/05/17
Filing No. 2218/2017
C.N.R. No. MP07010100282017

1. श्रीमती रामकली राठौर पत्नी स्व. वीरेन्द्र कुमार राठौर, आयु–28 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य
2. कु. सपना पुत्री स्व. वीरेन्द्र कुमार राठौर, आयु–13 वर्ष, व्यवसाय–विद्यार्थी
3. हेमंत पुत्र स्व. वीरेन्द्र कुमार राठौरा, आयु–12 वर्ष, व्यवसाय–विद्यार्थी
4. कु. शिवानी पुत्री स्व. वीरेन्द्र कुमार राठौर, आयु–10 वर्ष, व्यवसाय–विद्यार्थी
5. सुनील पुत्र स्व. वीरेन्द्र कुमार राठौर, आयु–7 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं
6. श्रीमती शांति बाई पत्नी श्री बाबूलाल राठौर, आयु–60 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं
7. बाबूराम राठौर पुत्र स्व. तुलसीराम राठौर, आयु–67 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं

स्थाई निवासीगण–गंज बाजार वार्ड क्रमांक 3 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

नोट–आवेदक क्र. 2 लगायत 5 नाबालिग होने से सरपरस्ती माताजी श्रीमती रामकली राठौर पत्नी स्व. वीरेन्द्र कुमार राठौर

..................**आवेदकगण**

Motor Accident Claim Case No.- 920/2017
Ragistration Date-28/07/17
Filing No. 3043/2017
C.N.R. No. MP07010155322017

रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू पुत्र श्री रामलखन, आयु–28 वर्ष, व्यवसाय–हाल कुछ नहीं, हाल निवासी– मो. रोड थाना व तहसील मेहगांव जिला भिण्ड

क्लेम प्रकरण कमांक–685 / 2017
क्लेम प्रकरण कमांक–920 / 2017

म0प्र0

..................**आवेदक**

विरूद्ध

1. प्रमोद राठौर पुत्र श्री नाथूसिंह, आयु–32 वर्ष, निवासी–सुभाष गली वार्ड कमांक 12, मेहगांव पुलिस थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
(**वाहन चालक** कार कमांक एम.पी. 30 सी. 1371)
2. आंनद अग्रवाल पुत्र श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, निवासी–सदर बाजार, रौन जिला भिण्ड म0प्र0 पिन कोड–477001, हाल निवासी–प्रमोद राठौर पुत्र श्री नाथू सिंह, सुभाष गली वार्ड क. 12 पुलिस थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
(**वाहन स्वामी** कार कमांक एम.पी. 30 सी. 1371)
3. दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा डिवीजनल मैनेजर कार्यालय एल.आई.सी. ऑफिस के पास सिटी सेंटर ग्वालियर म0प्र0
(**बीमा कंपनी** कार कमांक एम.पी. 30 सी. 1371)

................**अनावेदकगण**

आवेदकगण द्वारा	:–	श्री पी.के. राठौर अधिवक्ता
अनावेदक क. 1 व 2 द्वारा	:–	एकपक्षीय
अनावेदक क. 3 द्वारा	:–	श्री ए.के. अग्रवाल अधिवक्ता

–:: अ धि नि र्ण य ::–

{ आज दिनांक 13.12.2021 को पारित }

1. आवेदकगण की ओर से पृथक–पृथक क्षतिपूर्ति आवेदन अंतर्गत धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत् दुर्घटना में दिनांक 27.04.17 को मृतक वीरेन्द्र कुमार राठौर की हुई मृत्यु एवं आवेदक रूपेन्द्र को आई चोटों के परिणाम स्वरूप कमशः 99,00,000 / –रू. एवं 29,70,000 / – रू. अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों प्रकरण एक घ टना से संबंधित होने से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

2. आवेदकगण का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 27.04.17 को रात्रि लगभग 9:00 बजे मृतक एवं आवेदक अपने रिश्तेदारों के साथ वाहन अल्टो कार कमांक एम.पी. 30 सी 1371 में बैठकर मेहगांव से गोरमी होते हुये ग्राम मेहदौली के लिये जा रहे थे। जैसे ही उक्त कार रामस्वरूप के ट्यूबवैल के पास मेहदौली रोड गोरमी पहुंची थी तभी उक्त कार के चालक ने कार को बडी तेजी व लापरवाही से चलाते हुये पेड में जोर से टक्कर मारते हुये उक्त कार को पलट दिया तथा वीरेन्द्र कुमार की दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा आवेदक रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू को गंभीर किस्म की चोटें आई। तब वहां उपस्थित रिश्तेदारों एवं राहगीरों द्वारा संबंधित थाने की पुलिस व 108 एम्बुलेंस को फोन किया तब घटना स्थल पर पुलिस आ गई एवं घायल पडे आवेदक रूपेन्द्र को जिला भिण्ड के शासकीय हास्पीटल ले जाया गया तथा मृतक वीरेन्द्र कुमार के शव का दिनांक 28.04.17 को मेहगांव के सिविल हास्पीटल में पोस्ट मार्टम कर शव को उसके परिजन को सौंप दिया गया। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड पर अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध अपराध कमांक 109/17 अंतर्गत धारा 304ए, 279, 337 भा0द0स0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनावेदक क्र. 1 को गिरफ्तार किया गया एवं घटना में लिप्त वाहन को जप्त किया गया। दुर्घटना के पूर्व मृतक वीरेन्द्र कुमार 29 वर्षीय स्वस्थ एवं तंदुरूस्त व्यक्ति होकर मोटर वाइंडिंग के साथ साथ लाईट सुधारने का कार्य करता था जिससे समस्त खर्चा काटकर 15,000/– रू. की आय होती थी जिससे वह अपना व अपने परिजनों का भरण पोषण पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करता था। मृतक वीरेन्द्र की आकस्मिक मृत्यु होने से आवेदकगण उनके लाड–प्यार, स्नेह एवं संरक्षण से वंचित हो गये हैं जिससे उन्हें काफी मानसिक व शारीरिक कष्ट का सामना करना पडा रहा है।

3. दुर्घटना में आई चोटों के इलाज हेतु आवेदक रूपेन्द्र को शासकीय हॉस्पीटल भिण्ड ले जाया गया जहां उपस्थित डॉक्टरों द्वारा उसकी चोटों की जांच कर प्रारंभिक उपचार दिया गया। रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू का स्वास्थ अत्यधिक खराब होने के कारण वहां उपस्थित डॉक्टरों के द्वारा अग्रिम इलाज हेतु ग्वालियर रैफर किया गया तब रूपेन्द्र को परिवारजन द्वारा मय चिकित्सकीय सुविधा के साथ प्रायवेट एम्बुलेंस से बिरला हास्पीटल में भर्ती कराया गया जहां उसकी चोटों की पुनः जांच की गई आवेदक का स्वास्थ अत्यधिक खराब होने के कारण उसे आई.सी.यू. में भर्ती कर ऑक्सीजन लगाई गई। आवेदक के छाती, बांये कंधे में, कमर में एवं शरीर के विभिन्न भागों के कई एक्सरे कराये गये तथा आवेदक की रीढ की हड्डी में आई गंभीर चोट का एमआरआई कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट अनुसार आवेदक के बांये कंधे में पसलियों में एवं कमर में कई गंभीर किस्म के फैक्चर होना पाये गये तथा आवेदक की रीढ की हड्डी में कई जगह फैक्चर होना पाये गये। आवेदक को मंहगे–मंहगे इंजेक्शन, मेडीसिन व ड्रिप देकर इलाज प्रारंभ किया गया तथा आगे का इलाज देकर दिनांक 07.05.17 को आवेदक की छुट्टी कर दी। आवेदक रूपेन्द्र का इलाज में लगभग 2 लाख रूपये व्यय हो चुका है तथा भविष्य में भी काफी लंबे समय तक इलाज चलने की संभावना है। उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण आवेदक उठने बैठने, चलने–फिरने में व अपनी मजदूरी का कार्य करने एवं अपना स्वयं का कार्य करने में

पूर्णतः असमर्थ हो चुका है तथा आवेदक के बांये कंधे में, पसलियों में, कमर में व रीढ की हड्डी में गंभीर फैक्चर होने से आवेदक के पूर्ण शरीर में पैरालाईज होने के कारण पूरे शरीर में स्थाई विकलांगता आ चुकी है जिससे उसे व उसके परिवार को काफी आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहना पडा है और भविष्य में भी सहना पडेगा। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनावेदक क्र. 2 के स्वामित्व के वाहन से तेजी व लापरवाही पूर्वक दुर्घटना कारित की गई है और उक्त वाहन अनावेदक क्र. 3 की बीमा कंपनी में बीमित होने से सभी अनावेदकगण क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी है और आवेदकगण की ओर से अधिकरण से उनके आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः विभिन्न मदों में क्रमशः 99,00,000/–रू. एवं 29,70,000/– रू. की राशि मय 12 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा अन्य न्यायोचित सहायता की याचना की गई है।

4. अनावेदक क्र. 1 एवं 2 की ओर से दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत आवेदनों के पृथक पृथक लिखित उत्तर प्रस्तुत कर समस्त कथनों को स्वीकार करते हुये दिनांक 27.04.17 को अनावेदक क्र. 2 वाह क्रमांक एम.पी. 30 सी 1371 का स्वामी एवं अनावेदक क्र. 1 ड्रायवर था तथा अनावेदक क्र. 3 की बीमा कंपनी में उक्त वाहन बीमित था। उक्त दिनांक को अनावेदक क्र. 2 के वाहन से वीरेन्द्र कुमार एवं रूपेन्द्र का एक्सीडेंट नहीं हुआ। अनावेदकगण का उक्त दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किया जाये।

5. अनावेदक क्र. 3 की ओर से दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत आवेदनों के पृथक–पृथक उत्तर प्रस्तुत कर उसमें वर्णित अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार कर मूलतः व्यक्त किया गया है कि प्रश्नगत वाहन कार क्र. एम.पी. 30 सी 1371 का बताई गई दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। आवेदकगण द्वारा गलत रूप से क्लेम पाने के आशय से घटना के 5 दिन पश्चात् थाने से सांठगांठ कर व अनावेदक क्र. 1 व 2 से मिल जुलकर गलत रूप से झूठा लिप्त कराया गया है। घटना के समय मृतक अन्य व्यक्तियों के साथ सवारी यात्री के रूप में किराया भाडा से यात्रा किये जाने से एवं वाहन को किराये से तय करके लिये जाने से वाहन का संचालन बताई गई घटना के समय किराया भाडा के रूप में होने से प्रश्नगत वाहन का उपयोग बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन करते हुये किया गया है। प्रश्नगत वाहन के चालक के पास घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस एवं प्रभावशील परमिट एवं फिटनेस न होने के कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जिससे बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। धारा 158 उपधारा 6 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वाहन मालिक द्वारा अथवा पुलिस द्वारा घटना से संबंधित कोई दस्तावेज संबंधित अधिकरण अथवा बीमा कंपनी को नहीं भेजे हैं। अवार्ड पर ब्याज की राशि 50हजार रूपये एवं उससे अधिक आती है और उसका दायित्व बीमा कंपनी पर डाला जाता है तब आवेदक से आयकर विभाग से जारी पेन नंबर अनावेदक बीमा कंपनी को उपलब्ध कराये वं 10 प्रतिशत कटोत्रा किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्र. 2 के द्वारा कथित घटना के पूर्व ही रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू को विक्रय कर दिये जाने से व अनावेदक क्र. 2 का कथित वाहन पर घटना के समय कोई नियंत्रण न होने से आवेदकगण

उससे कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किया जाये।

6. उभयपक्ष के उपरोक्त अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई है, उनके समक्ष साक्ष्य विवेचना के बाद मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किए जा रहे हैं :––

क्लेम प्रकरण क.–685/17 (मृतक वीरेन्द्र)

स.क	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या घटना दिनांक 27.04.17 को रात्रि लगभग 9 बजे रामसवरूप के ट्यूबवैल के पास मेहदौली रोड गोरमी अंतर्गत थाना गोरमी जिला भिण्ड म.प्र. में अनावेदक क्. 1 ने अनावेदक क्. 2 के स्वत्व एवं आधिपत्य की ऑल्टो कार क्. एम.पी. 30 सी 1371 को तेजी व लापरवाही से चलाकर पेड में टक्कर मारने के परिणाम स्वरूप पलट दिये जाने से आई चोटों से वीरेन्द्र कुमार की मृत्यु कारित हुई?	**''हॉ, प्रमाणित''**
2.	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्. 1 द्वारा ऑल्टो कार क्. एम.पी. 30 सी 1371 को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	**''प्रमाणित नही''**
3.	क्या इस अधिकरण को प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है ?	**''हॉ, प्रमाणित''**
4.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से समस्त मदों में कुल 99,00,000/– रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?	**अधिनिर्णय के चरण 36 अनुसार**
5.	सहायता एवं व्यय?	**अधिनिर्णय के पेरा क. 51 अनुसार दावा आंशिक रूप से स्वीकार**

क्लेम प्रकरण क.–920/17 (आवेदक रूपेन्द्र)

स.क	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या अनावेदक क्. 1 ने अनावेदक क्. 2 के स्वत्व व	

	स्वामित्व के वाहन अल्टो कार क्रमांक एम.पी. 30 सी. 1371 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की ?	**''हॉ, प्रमाणित''**
2.	क्या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को गंभीर उपहति कारित होकर स्थाई अशक्तता कारित हुई ?	**''स्थाई निशक्तता अप्रमाणित, घोर उपहति आना प्रमाणित''**
3.	क्या दुर्घटना के समय उक्त वाहन अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी में बीमित था ?	**''हॉ, प्रमाणित''**
4.	क्या दुर्घटना के समय उक्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	**''प्रमाणित नही''**
5.	क्या आवेदक कोई क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है? यदि हां तो कितनी व किससे ?	**अधिनिर्णय के चरण 47 अनुसार**
6.	सहायता एवं वाद व्यय?	**अधिनिर्णय के पेरा क. 52 अनुसार दावा आंशिक रूप से स्वीकार**

–: निष्कर्ष के आधार :–

दोनों क्लेम प्रकरणों के वादप्रश्न कमांक–1 एवं क्लेम प्रकरण क. 920 / 17 के वादप्रश्न कमांक–2 पर निष्कर्ष

7. तथ्यों की पुनरावृत्ति या दोहराव को रोकने के उद्देश्य तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

8. आवेदकगण की ओर से घटना को प्रमाणित करने हेतु मृतक वीरेन्द्र की पत्नी श्रीमती रामकली राठौर (आ0सा0–1), रिकॉर्ड कीपर रवि प्रताप (आ0सा0–2), आवेदक रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू (आ0सा0–3) तथा अनावेदक की ओर से अन्वेषक सुरेन्द्र सिंह राजपूत (अना0सा0–1), अनावेदक क्र. 2 आनंद अग्रवाल (अना0सा0–2) तथा मनीष मीना (अना0सा0–3) को परिक्षित करवाया है। आवेदकगण की ओर से घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरण का रिकॉर्ड प्रदर्श पी 1 लगायत 6 एवं 14 लगायत 18 प्रस्तुत किये हैं।

9. आवेदक श्रीमती रामकली राठौर (आ0सा0–1) एवं आवेदक रूपेन्द्र (आ0सा0–3) द्वारा आवेदन अनुसार मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह

दर्शाया है कि दिनांक 27.04.17 को रात्रि लगभग 9:00 बजे उसका पति एवं आवेदक रूपेन्द्र अपने रिश्तेदारों के साथ वाहन अल्टो कार क्रमांक एम.पी. 30 सी 1371 में बैठकर मेहगांव से गोरमी होते हुये ग्राम मेहदौली के लिये जा रहे थे। उक्त कार के चालक ने कार को बडी तेजी व लापरवाही से चलाते हुये पेड में जोर से टक्कर मारते हुये उक्त कार को पलट दिया जिससे कार में बैठे वीरेन्द्र कुमार की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड में की गई थी। उक्त स्थिति का समर्थन रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू (आ0सा0–3)द्वारा किया गया है।

10. आवेदिका श्रीमती रामकली राठौर (आ0सा0–1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी दर्शाया है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक वीरेन्द्र कुमार 29 वर्षीय स्वस्थ एवं तंदुरूस्त व्यक्ति होकर मोटर वाइंडिंग के साथ साथ लाईट सुधारने का कार्य करता था जिससे समस्त खर्चा काटकर 15,000/– रू. की आय होती थी जिससे वह अपना व अपने परिजनों का भरण पोषण पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करता था। मृतक वीरेन्द्र की आकस्मिक मृत्यु होने से आवेदकगण उनके लाड–प्यार, स्नेह एवं संरक्षण से वंचित हो गये हैं जिससे उन्हें काफी मानसिक व शारीरिक कष्ट का सामना करना पडा रहा है। उसके पति के अलावा अन्य कमाने वाला कोई पुरूष सदस्य न होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है जिसकी भरपाई जीवन में किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती।

11. आवेदकगण की ओर से दर्शायी गई उक्त स्थिति का संपूर्ण समर्थन आपराधिक दस्तावेजों प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–6 एवं प्रदर्श पी–14 लगायत 18 से होता है। सभी आवेदकगण के मुख्य परीक्षण एक दूसरे के समर्थन करते है। साक्षी रामकली राठौर (आ0सा0–1) ने अपने कथनों में स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी तथा वह घटना स्थल पर भी नहीं थी। उक्त स्थिति के संबंध में यह स्पष्ट है कि आवेदकगण का ऐसा प्रकरण नहीं है कि उक्त साक्षी ने घटना देखी है, जिससे उक्त स्वीकारोक्तियों के आधार पर कोई विपरीत प्रभाव कारित नहीं होता। उक्त के अतिरिक्त घटना के स्वयं आहत रूपेन्द्र (आ0सा0–3) के कथन अभिलेख पर हैं जिनके द्वारा घ टना का संपूर्ण विवरण दिया गया है। उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में घटना एवं उसके पश्चात् हुई कार्यवाही के संबंध में आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से दिया है।

12. मृतक वीरेन्द्र एवं आहत रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू का आपस में साडू भाई होना रामकली (आ0सा0–1) अपने परीक्षण के चरण–13 में बताया है। उक्त आधार पर अनावेदक की ओर से तर्क किया गया है कि उक्त व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने के लिये साक्षी बनाया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों में उक्त तर्क पोषणीय नहीं है क्योंकि उक्त रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू (आ0सा0–3) स्वयं आहत है जिससे संबंधित अभिलेख उसके द्वारा पेश किया गया है।

13. अनावेदक क्र. 3 की ओर से आवेदकगण का घटना एवं आई चोटों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है। अनावेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट

के पांच दिवस विलम्ब से लेखबद्ध करवाये जाने के आधार पर तर्क किया है एवं घटना को झूठी होना दर्शाया है। इस संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य देखी जाना आवश्यक है। प्रकरण में दिनांक 27.04.17 की घटना होना दर्शित है तथा थाने पर सूचना दिनांक 01.05.17 को दी गई होना प्रकट होता है। प्रदर्श पी–3 के मर्ग इंटीमेशन को देखा जाये तो उक्त मर्ग इंटीमेशन के संबंध में दिनांक 27.04.17 को रात्रि 11:20 बजे सूचना होना दर्शित है तथा 28.04.17 को प्रदर्श पी–4 अनुसार पोस्टमार्टम होना दर्शित होता है। उक्त परिस्थिति में रिपोर्ट लेखबद्ध करवाये जाने में कारित विलम्ब इतना तात्विक नहीं है कि घटना के मूल को शंकास्पद कर दे तथा विलम्ब की स्थिति उक्त अन्य मर्ग की कार्यवाही से संबंद्ध हो जाती है। उक्त प्रकृति के विलम्ब के आधार पर संपूर्ण घटना शंकास्पद नहीं हो जाती। इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत **रवि बनाम बद्रीनारायण 2011 ए.सी.जे. 911 एस.सी., मुकेश विरूद्ध गनिशंकर एम.ए.सी.डी. 2011 भाग–1 एम.पी. 307** से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अतः दुर्घटना से संबंधित परिस्थितियॉ अभिलेख पर अखण्डित रूप से स्थापित होने से उक्त विलम्ब के आधार पर प्रकरण शंकास्पद नहीं होता है।

14. घटना का समर्थन आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों से होता है। उक्त दस्तावेजों का कोई खण्डन अनावेदकगण की ओर से नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज आवेदकगण के पक्ष को समर्थित करते हैं। न्यायदृष्टांत **"Anil Tiwari And Ors. vs Saheb Singh And Ors"2001 ACJ 471** के पैरा–8 में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्त किया है कि That strict proof of these documents is not required in claims cases under the Motor Vehicles Act, न्यायदृष्टांत **"Parmeshwari v. Amir Chand and Ors" AIR 2011 SUPREME COURT 1504** के पैरा–12 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने Bimla Devi and others v. Himachal Road Transport Corporation and others (AIR 2009 SC 2819). का अवलंबन लेते हुये अभिव्यक्त किया है कि It was necessary to be borne in mind that strict proof of an accident caused by a particular bus in a particular manner may not be possible to be done by the claimants. The claimants were merely to establish their case on the touchstone of preponderance of probability. The standard of proof beyond reasonable doubt could not have been applied.

15. माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **सुरेन्द्र कुमार बनाम यशोदा बाई 2002 ए.सी.जे. 343** में यह अवधारित किया है कि जहां पुलिस द्वारा अन्वेषण उपरांत वाहन चालक के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया हो वहां अधिकरण ऐसे वाहन चालक को दोषी पा सकता है। हस्तगत मामले में भी उक्तानुसार दस्तावेज पेश किये गये हैं जिसमें पुलिस द्वारा अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त के अतिरिक्त अनावेदकगण ने उपरोक्त साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अनावेदक क्र.1 जो कि वाहन का चालक था, वह साक्ष्य हेतु पेश नहीं हुआ,जबकि वह यह बता सकता था कि दुर्घटना किस वजह से हुई।

न्यायदृष्टान्त–**एम. पी.एस.आर.टी.सी. विरूद्ध वैजयंती 1995 ए.सी.जे. 560 (एम. पी.)** तथा **राजेन्द्रसिंह विरूद्ध शीतलदास 1992 (एम.पी.डब्ल्यू.एन) 204** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि दुर्घटना में लिप्त वाहन के चालक को न्यायालय में परीक्षित नहीं किया जाता है तो वाहन चलाने में उसकी उपेक्षा की उपधारणा की जा सकती है। अतः इस मामले में वाहन चालक अनावेदक क्र.1 के साक्ष्य हेतु पेश नहीं होने से उसके विपरीत निष्कर्ष निकलता है। ऐसी स्थिति में आवेदक ने दुर्घटना की जो विवरण दिया है जो स्वीकार योग्य है। अतः दुर्घटना से संबंधित परिस्थितियॉ अभिलेख पर अखण्डित रूप से स्थापित हैं।

16. आवेदक रूपेन्द्र (आ0सा0–3) के अनुसार उसे दुर्घटना में आई चोटों के इलाज हेतु आवेदक रूपेन्द्र को शासकीय हॉस्पीटल भिण्ड ले जाया गया जहां उपस्थित डॉक्टरों द्वारा उसकी चोटों की जांच कर प्रारंभिक उपचार दिया गया। रूपेन्द्र उर्फ टिल्लू का स्वास्थ अत्यधिक खराब होने के कारण वहां उपस्थित डॉक्टरों के द्वारा अग्रिम इलाज हेतु ग्वालियर रैफर किया गया तब रूपेन्द्र को परिवारजन द्वारा मय चिकित्सकीय सुविधा के साथ प्रायवेट एम्बुलेंस से बिरला हास्पीटल में भर्ती कराया गया जहां उसकी चोटों की पुनः जांच की गई आवेदक का स्वास्थ अत्यधिक खराब होने के कारण उसे आई.सी.यू. में भर्ती कर ऑक्सीजन लगाई गई। आवेदक के छातीा, बांये कंधे में, कमर में एवं शरीर के विभिन्न भागों के कई एक्सरे कराये गये तथा आवेदक की रीढ की हड्डी में आई गंभीर चोट का एमआरआई कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट अनुसार आवेदक के बांये कंधे में पसलियों में एवं कमर में कई गंभीर किस्म के फ्रैक्चर होना पाये गये तथा आवेदक की रीढ की हड्डी में कई जगह फ्रैक्चर होना पाये गये। आवेदक को मंहगे–मंहगे इंजेक्शन, मेडीसिन व ड्रिप देकर इलाज प्रारंभ किया गया तथा आगे का इलाज देकर दिनांक 07.05.17 को आवेदक की छुट्टी कर दी। आवेदक रूपेन्द्र का इलाज में लगभग 2 लाख रूपये व्यय हो चुका है तथा भविष्य में भी काफी लंबे समय तक इलाज चलने की संभावना है। उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण आवेदक उठने बैठने, चलने–फिरने में व अपनी मजदूरी का कार्य करने एवं अपना स्वयं का कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ हो चुका है तथा आवेदक के बांये कंधे में, पसलियों में, कमर में व रीढ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर होने से आवेदक के पूर्ण शरीर में पैरालाईज होने के कारण पूरे शरीर में स्थाई विकलांगता आ चुकी है जिससे उसे व उसके परिवार को काफी आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहना पडा है और भविष्य में भी सहना पडेगा।

17. उक्त इलाज के अभिलेख के संबंध में रिकॉर्ड कीपर रवि प्रताप (आ0सा0–1) को परीक्षित करवाया है जिसके द्वारा बिडला अस्पताल ग्वालियर का रिकॉर्ड प्रदर्श पी–13 जिसमें पृष्ठ 1 लगायत 11 है, प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार आहत रूपेन्द्र राठौर दिनांक 28.04.17 से 07.05.17 तक अस्पताल में भर्ती रहा है। उक्त रिकॉर्ड कीपर साक्षी के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श पी–13 का अभिलेख न तो उसने तैयार किया है ना ही उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी है। उक्त परिस्थिति के संबंध में यह स्पष्ट है कि साक्षी मात्र अपने आधिपत्य के अभिलेख के संबंध में साक्ष्य

देने के लिये उपस्थित हुआ है जिससे अपने पद के अनुरूप तत्कालीन संधारित अभिलेख उसके द्वारा पेश किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आहत का ईलाज उसके समक्ष नहीं हुआ, परंतु यह साक्षी अपने कर्तव्य अनुसार संबंधित इलाज के दस्तावेज संधारित रिकॉर्ड के आधार पर लेकर उपस्थित हुआ है।

18. इस आहत के संबंध में यह तर्क किया गया है कि उससे संबंधित कोई एम.एल.सी. या अन्य रिकॉर्ड आपराधिक प्रकरण में दर्ज हुआ हो, पेश नहीं किया गया है, जिससे उसकी स्थिति शंकास्पद हो जाती है। उक्त आहत साक्षी रूपेन्द्र (आ0सा0–3) के संबंध में प्रदर्श पी–13 के चिकित्सा विवरण तथा प्रदर्श पी–14 एवं 15 के इलाज के दस्तावेज एवं प्रदर्श पी–125 की डिस्चार्ज समरी एवं प्रदर्श पी–126 की रिपोर्ट के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि आहत को छाती एवं पीठ (रीढ़ की हड्डी) में अस्थिभंग होना तथा दिनांक 28.4.17 से 07.05.17 तक उसका उक्त इलाज हेतु भर्ती होना प्रमाणित होता है। उक्त के अतिरिक्त प्रदर्श पी–13 से उसकी गहन चिकित्सा होना भी प्रकट होती है। उक्त स्थिति का समर्थन एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए–1 एवं सिटी स्केन आर्टिकल ए–2 लगायत ए–4 से भी होता है। आहत के संबंध में स्थाई निर्योग्यता से संबंधित कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। परिणामतः आहत रूपेन्द्र को घ ोर उपहति कारित होना प्रमाणित होता है, परंतु स्थाई निर्योग्यता एवं अन्य स्थितियां अप्रमाणित है।

19. परिणामतः दोनों क्लेम प्रकरणों के **वादप्रश्न कमांक 1** के संबंध में यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक 27.04.17 को रात्रि लगभग 9 बजे रामसवरूप के ट्यूबवैल के पास मेहदौली रोड गोरमी अंतर्गत थाना गोरमी जिला भिण्ड म.प्र. में अनावेदक क्र. 1 ने अनावेदक क्र. 2 के स्वत्व एवं आधिपत्य की ऑल्टो कार क्र. एम.पी. 30 सी 1371 को तेजी व लापरवाही से चलाकर पेड में टक्कर मारने के परिणाम स्वरूप पलट दिये जाने से आई चोटों से वीरेन्द्र कुमार की मृत्यु कारित हुई। अतः दोनों क्लेम प्रकरणों के **वादप्रश्न कमांक 1** का निष्कर्ष उक्तानुसार **''हॉ, प्रमाणित''** में दिया जाता है तथा क्लेम प्रकरण **क. 920/17 के वादप्रश्न कमांक 2** के संबंध में यह अप्रमाणित है उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक रूपेन्द्र को गंभीर उपहति कारित होकर स्थाई अशक्तता कारित हुई। अतः क्लेम प्रकरण **क. 920/17 के वादप्रश्न कमांक 2** का निष्कर्ष **''स्थाई निशक्तता अप्रमाणित, घोर उपहति आना प्रमाणित''** में दिया जाता है

<u>–: क्लेम प्रकरण क. 685/17 के वादप्रश्न कमांक–2 एवं क्लेम प्रकरण क. 920/17 के वादप्रश्न कमांक–4 पर निष्कर्ष :–</u>

20. आवेदकगण की ओर से उक्त दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 चालक के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जिसमें प्र.पी.–6 जप्ती पत्रक के अनुसार एक बीमा एवं ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति जप्त होना प्रकट होता है। प्र.पी.–01 के अंतिम प्रतिवेदन में भी लायसेंस अथवा बीमा

नहीं होने के संबंध में कथित अपराध धारा अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन स्वरूप अनावेदक क. 3 बीमा कंपनी की ओर से कोई तात्विक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी एवं यह सुनिश्चित है कि बीमा पॉलिसी या उसकी प्रति पेश करने का दायित्व वाहन स्वामी और/या बीमा कंपनी का होता है और यदि बीमा कंपनी को पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन का बचाव लेना होता है तो उक्त अभिवचन को प्रमाणित करने का भार भी बीमा कंपनी पर ही है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वि0 जुगल किशोर ए0आई0आर0 1988 ए0सी0719 एवं यूनाईटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वि0 नटवर लाल 1988 जे0एल0जे0 639** अवलोकनीय एवं अनुकरणीय है। **न्यायदृष्टांत—लोकेन्द्र वि0 आजाद खान 2011 (1) MPJL 679** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वाहन चालक के पास दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी अनुज्ञा—पत्र नहीं होने के तथ्य को प्रमाणित करने का प्रमाण भार पूर्णतः बीमा कंपनी पर है। अनावेदकगण की ओर से प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं अपने प्रमाण भार का निर्वहन नहीं किया गया है एवं यह सुस्थापित है, कि मात्र अभिकथन स्वंय प्रमाण नही होता है। इस संबध में न्यायदृष्टांत **विशनदेवी वि0 सिरबक्श सिंह1979 ए.सी.जे. 496=1980 टी0ए0सी0 43 सु0को0** अवलोकनीय एवं अनुकरणीय है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि बीमा कंपनी जब प्रकरण में प्रतिरक्षा लेती है तो उसे स्वीकार योग्य साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित भी करना चाहिए, मात्र अभिकथन को साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

21. अतः उपरोक्तानुसार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी अपने प्रमाण भार का निर्वहन करने में असफल रही है अतः क्लेम प्रकरण क. 685/17 के वादप्रश्न क्रमांक—2 एवं क्लेम प्रकरण क. 920/17 के वादप्रश्न क्रमांक—4 का निष्कर्ष **''प्रमाणित नहीं''** में दिया जाता है।

—: क्लेम प्रकरण क. 685/17 के वादप्रश्न कमांक 3 एवं 4:—

22. तथ्यों की पुनरावृत्ति या दोहराव को रोकने के उद्देश्य तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा विरूद्ध देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए.सी.जे.1298** में मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण की प्रक्रिया और उसके चरण बतलाए हैं जिनकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इं.कं.लि. विरूद्ध प्रणय सेठी 2017(4) —एम.ए.सी.डी.—1375 (एस.सी.) एवं रेशमा कुमारी विरूद्ध मदनमोहन 2013 ए.सी.जे.1253 तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ निर्णय चरण—40(4**) में की है। अतः इस न्याय दृष्टांत में बतलायी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा।

<u>//मृतक की उम्र के बारे में//</u>

24. आवेदकगण ने आवेदन में मृतक वीरेन्द्र की उम्र 29 वर्ष अंकित की है। आवेदकगण की ओर से मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। शव परीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 के अनुसार मृतक वीरेन्द्र की आयु–28 वर्ष होना प्रकट होती है। आयु के संबंध में अनावेदक की ओर से तर्क किया गया है कि मृतक की पत्नी द्वारा, मृतक का राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि होना स्वीकार किया है, परंतु पेश नहीं किया गया है तथा अपनी आयु भी 29 वर्ष बताई है जिससे यह उपधारित किया जा सकता है कि मृतक उसकी पत्नी से 2–3 साल बडा होगा, जिससे यह प्रमाणित होता है कि मृतक की आयु 30 वर्ष से अधिक होगी। उक्त स्थिति के संबंध में यह अवश्य है कि मृतक की आयु से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं है, परंतु एक चिकित्सकीय विशेषज्ञ द्वारा पी.एम. रिपोर्ट में उल्लेखित आयु बिना किसी आधार के असत्य होना नहीं मानी जा सकती। जहां तक पति के बडी आयु का होने का प्रश्न है यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा पति की आयु पत्नी से अधिक हो। अतः उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में मृतक की दुर्घटना के समय **<u>आयु 28 वर्ष</u>** अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित है।

<u>//आमदनी के बारे में//</u>

25. आवेदकगण ने आवेदन में मृतक द्वारा मोटर वाइंडिंग एवं लाईट सुधारने का कार्य कर 15,000/– रू. प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है। उक्त आय के संबंध में आवेदकगण की ओर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में स्वीकारोक्ति भी प्रकट होती है। परिणामतः न्यायालय को गैस वर्क के आधार पर आय का निर्धारण करना होगा। इस मामले में मृतक एक 28 वर्षीय व्यक्ति था तथा उसकी कोई विशेषज्ञता अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है जिससे ऐसे में यह माना जा सकता है कि वह एक अकुशल श्रमिक था और ऐसे अकुशल श्रमिक का इस भीषण मंहगाई में सन् 2017 में 5,500–00 रूपये प्रतिमाह कमा लेना अस्वाभाविक नहीं है। अत : मृतक की आमदनी 5,500–00 रूपये प्रतिमाह अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित होती है।

<u>//गुणांक के बारे में//</u>

26. उक्त न्याय दृष्टांत सरला वर्मा से मार्गदर्शन लेकर मृतक की उम्र 28 वर्ष को देखते हुये 26 से 30 वर्ग की आयु में 17 का गुणांक प्रयुक्त करने का यह उचित मामला है। अतः मामले में **<u>17 का गुणांक</u>** प्रयुक्त किया जाएगा।

<u>//भविष्य की आमदनी//</u>

27. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **<u>नेशनल इ.कं.ल. विरूद्ध प्रणय सेठी 2017 (4)–एम. ए. सी. डी. –1375 (एस. सी.)</u>** में न्यायमूर्तिगण की पीठ में निर्णय चरण– 60(IV) में यह प्रतिपादित किया है कि जहॉ मृतक स्वनियोजन में हो और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो, तब भविष्य की संभावनाओं के रूप में 40 प्रतिशत आमदनी जोड़ी जानी चाहिये।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवीनतम न्याय **दृष्टांत हेमराज विरूद्ध ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 ए.सी.जे.–5** में यह प्रतिपादित किया है कि न्यायालय गैस वर्क के आधार पर जो आमदनी निर्धारित करता है, उसमें भी भविष्य की संभावनाओं को विचार में लिया जाना चाहिये। इस मामले में भी उक्त न्याय दृष्टांत प्रणय सेठी पर भरोसा किया गया है। उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में इस मामले के तथ्यों को देखें तो इस मामले में मृतक जिस तरह स्वनियोजित होना पाया गया है उसे देखते हुये उसकी भविष्य की संभावनायें उसकी आमदनी का 40 प्रतिशत मानी जानी चाहिये, जो 2200–00 रूपये की होती है। अतः भविष्य की आमदनी 2200–00 रूपये प्रमाणित होती है।

//व्यक्तिगत् जीवन निर्वाह खर्च//

29. आवेदकगण की ओर से आश्रित के रूप में मृतक की पत्नी, दो पुत्री, दो पुत्र एवं माता–पिता इस प्रकार 7 लोगों का आश्रित होना आवेदन में दर्शाया है। अतः मृतक पर आश्रितों की संख्या 7 को देखते हुये व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च आमदनी का 1/5 भाग प्रमाणित माना जाना उचित होगा। अतः मृतक का व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च उसकी आमदनी अर्थात् 5500–00 रूपये व भविष्य की संभावनाओं के 2200–00 रूपये कुल 7700–00 रूपये का 1/5 भाग अर्थात् 1540–00 रूपये प्रमाणित होता है।

//दाह–संस्कार खर्च//

30. उक्त न्याय दृष्टातं प्रणय सेठी एवं माननीय न्यायदृष्टांत **मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध नानूराम सिविल अपील क. 9581/18 निर्णय दिनांक 18.09.18** से मार्गदर्शन लेने पर दाह संस्कार खर्च 15,000–00 रूपये निर्धारित करता हूँ। अतः आवेदकगण मृतक के **दाह संस्कार में खर्च में 15,000–00** रूपये पाने के पात्र हैं।

//सहचर्य, वात्सल्य, मार्गदर्शन एवं सम्पदा की हानि//

31. उक्त न्याय दृष्टातं प्रणय सेठी एवं माननीय न्यायदृष्टांत **मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध नानूराम सिविल अपील क. 9581/18 निर्णय दिनांक 18.09.18 के चरण–8 एवं 9** से मार्गदर्शन लेने पर आवेदिका क. 1 को सहचर्य हानि के रूप में 40,000/– रू. तथा आवेदिका क. 2 लगायत 7 प्रत्येक को वात्सल्य एवं मार्गदर्शन की हानि के रूप में 40,000–00 रूपये निर्धारित करता हूँ। अतः आवेदकगण मृतक के सहचर्य, वात्सल्य एवं मार्गदर्शन आदि के मद में 40,000–00 रूपये प्रत्येक, **कुल 2,80,000/– रू.** पाने के पात्र हैं तथा **सम्पदा की हानि के मद में 15,000/– रू.** पाने के पात्र है।

//प्रतिकर की गणना//

32. मृतक की आमदनी 7700–00 रूपये उसके व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च

1540–00 रूपये को घटाने पर आश्रित्ता की राशि **6160–00** रूपये आती है, जिसमें उक्त अनुसार 17 का गुणांक प्रयुक्त करने पर **6160X12X17 =12,56,640/–** रूपये बनते हैं, जिस में उक्तानुसार **सहचर्य, वात्सल्य एवं मार्गदर्शन आदि के मद में 2,80,000/–** रूपये एवं दाह संस्कार का खर्च **15,000–00** रूपये एवं सम्पदा की हानि के **15,000/–** जोड़ने पर कुल **15,66,640/– (पन्द्रह लाख छियासठ हजार छः सौ चालीस रुपये)** रूपये बनते हैं। मृतक की उम्र, आमदनी, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यदि आवेदकगण को उक्तानुसार पूर्णांक में **15,67,000/– (पन्द्रह लाख सढ़षठ हजार रुपये)** रूपये प्रतिकर दिलवाया जाता है, तो इसे युक्तियुक्त न्यायसंगत प्रतिकर कहा जा सकता है।

//दायित्व निर्धारण//

33. आवेदकगण की ओर से तर्क किया गया है कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से ब्याज पाने की ओवदकगण अधिकारी है, जिससे 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाये। ब्याज के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय न्यायदृष्टांत **AIR 2003 SUPREME COURT 1817 Abati Bezbaruah** v. **Dy. Director General, Geological Survey of India and another** में यह अभिनिर्धारित किया है कि Interest, On compensation, Rate of interest, Depend upon the facts and circumstances of each case, There cannot be hard and fast rule in awarding interest. अन्य माननीय न्यायदृष्टांत **AIR 2004 SUPREME COURT 1581 National Insurance Co. Ltd v. Keshav Bahadur and others** में यह अभिनिर्धारित किया है कि Award of interest, Discretion Is to be exercised in case where claimant can claim same as matter of right. Simple interest on amount of compensation awarded at particular rate and from particular date - In circumstances retrospective enhancement of interest for default in payment of compensation together with interest payable thereon, not permissible as it amounts to imposition of penalty. माननीय न्यायलय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि Word "discretion" means exercise of discretion, which Cannot be arbitrary but must be result of judicial thinking.

34. माननीय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा विभिन्न माननीय न्यायदृष्टांतों में परिस्थितियों अनुसार 7 प्रतिशत से लेकर 9 प्रतिशत तक विभिन्न दर से ब्याज दिलवाया गया है जिसके संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत **AIR 2015 SC (Supp) 694 Kumari Kiran v. Sajjan Singh and others, AIR 2001 SUPREME COURT 485 S. Kaushnuma Begum and others v. The New India Assurance Co. Ltd. and others, AIR 2008 SUPREME COURT 2312 Dharampal and Ors v. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, AIR 2002 SUPREME COURT 2483 H. S. Ahammed Hussain and another v. Irfan Ahammed and another, Maqbool Pasha**

<u>and another v. Irfan Ahammed and another</u> अवलोकनीय है। माननीय न्यायदृष्टांत **<u>मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध नानूराम सिविल अपील क. 9581/18 निर्णय दिनांक 18.09.18</u>** के मार्गदर्शन में वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में एवं वर्तमान ब्याज दर आदि को दृष्टिगत रखते हुये तथा उक्त 12 प्रतिशत अत्यधिक है अतः **8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दावा दिनांक से अदायगी तक** दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। आवेदन व्यय 1,000–00 रूपये दिलवाना उचित है। आवेदकगण नियमानुसार अभिभाषक शुल्क भी पाने के पात्र है। <u>3 माह</u> में राशि जमा न करवाये जाने पर आवेदकगण को बड़ी हुई दर <u>09 प्रतिशत वार्षिक</u> की दर से ब्याज दिलवाना उचित है।

35. अनावेदक की ओर से प्रकरण की सुनवाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति ली गई है जिससे वर्तमान वादप्रश्न निर्मित किया गया है। आवेदक की ओर से बीमा कंपनी में बीमा होने के आधार पर क्षेत्राधिकार होना अपने आवेदन में दर्शाया है। अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी का ऑफिस सिटी सेंटर ग्वालियर में होना आवेदन में उल्लेखित है जिसका कोई विरोध एवं खण्डन अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। अतः बीमा कंपनी का कार्यालय होने से इस न्यायालय को आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

36. परिणामतः **क्लेम प्रकरण क. 685/17 के वादप्रश्न कमांक 3** के संबंध में यह प्रमाणित है कि इस अधिकरण को प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। अतः **क्लेम प्रकरण क. 685/17 के वादप्रश्न कमांक 3** का निष्कर्ष उक्तानुसार **''हॉ, प्रमाणित''** में दिया जाता है **क्लेम प्रकरण क. 685/17 के वादप्रश्न कमांक 4** का निराकरण ''अंशतः स्वीकृत'' में दिया जाता है तथा यह निर्णित किया जाता है उल्लंघनकारी वाहन अल्टो कार क्रमांक एम.पी. 30 सी. 1371 के चालक अनावेदक क्र. 1 की लापरवाही से दुर्घटना हुई है तथा अनावेदक क्र. 2 के स्वामित्व का वाहन था जिससे दोनों क्षतिपूर्ति के लिये दायित्वाधीन है। अनावेदक क्रं–03 बीमा कंपनी के पास वाहन वैध रूप से बीमित रहा है। अतः बीमा कंपनी भी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी है। अतः आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक रूप से **<u>15,67,000/– (पन्द्रह लाख सढ़षठ हजार रुपये)</u>** रूपये प्रतिकर पाने के पात्र हैं।

<u>–: क्लेम प्रकरण क. 920/17 के वादप्रश्न कमांक–3 एवं 5 पर निष्कर्ष :–</u>

37. तथ्यों की पुनरावृत्ति या दोहराव को रोकने के उद्देश्य तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

38. अनावेदक की ओर से प्रदर्श डी–4 की बीमा पॉलिसी पेश की है जिसमें वाहन अनावेदक क्र. 2 आनंद अग्रवाल के नाम से बीमित होना प्रमाणित होता है। उक्त पॉलिसी का कोई खण्डन या विरोध अभिलेख पर नहीं है।

39. उपरोक्तानुसार साक्ष्य की विवेचना अनुसार अभिलेख पर आवेदक रूपेन्द्र को किसी प्रकार की स्थायी निर्योग्यता होना प्रमाणित नहीं हुआ हैं। आवेदक की ओर से उपचार में हुये व्यय के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श पी–20 लगायत 126 तथा एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए–1 एवं सी.टी. स्कैन प्लेट आर्टिकल ए–2 लगायत ए–4 अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं। उक्तानुसार समस्त बिलों के आधार पर उपचार में हुये व्यय **96,971/–** रू. (प्रदर्श पी–21 लगायत 24, प्रदर्श पी–27 लगायत 31, प्रदर्श पी–33 लगायत 37, प्रदर्श पी–40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53 एवं 54 के एडवांस बिलों को छोडकर) का होना प्रकट होता है। उक्त बिलों के संबंध में इस बिंदु पर प्रतिपरीक्षण किया गया है कि उक्त दवाओं से संबंधित डॉक्टर का प्रिसक्रिप्शन पेश नहीं किया गया है। उक्त स्थिति को साक्षी ने स्वीकार भी किया है, परंतु अनावेदक की ओर से यह खण्डित नहीं किया गया है कि उक्त प्रकृति की औषधियां, उक्त प्रकृति की चोटों एवं इलाज के संबंध में उपयोग नहीं हो सकती। उक्त बिल इलाज की दिनांक के आसपास के हैं। अतः उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को इस संबंध में पूर्णांक में कुल राशि **97,000/–** चिकित्सा व उपचार व्यय के मद में स्वीकृत की जाती है।

40– आवेदक के ईलाज के दौरान दिनांक 28.04.17 से 07.05.17 तक अस्पताल में भर्ती होकर उपचाररत रहा है एवं उक्त अवधि के दौरान निश्चित रूप से उसके साथ उसकी देखभाल के लिये उसके परिवार का सदस्य अटेण्डर के रूप मे अस्पताल में साथ में रहा होगा, अतः आवेदक/आहत को **अटेण्डर व्यय** की मद में **रूपये 10,000/–रू.** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

41– आवेदक की ओर से अस्पताल में दिनांक 28.04.17 से 07.05.17 तक अस्पताल में भर्ती उपचाररत होना बताया गया है। आवेदक की ओर से इस संबंध में आवागमन व्यय यद्यपि समुचित साक्ष्य से उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है, किंतु निश्चित रूप से आवेदक को उपचार के लिये अस्पताल ले जाने एवं वापस अपने निवास तक जाने में यात्रा किये जाने में वाहन खर्च भी हुआ होगा। अतः आवेदक को **परिवहन व्यय** के संबंध में राशि रूपये **5,000**/– उक्त मद में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

42. आवेदक के उपचाररत रहने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुवे, उसके उपचार की अवधि को दृष्टिगत रखते हुये इलाज के दौरान निश्चित रूप से विशेष पोषण आहार की भी आवश्यकता रही होगी एवं पश्चात् में भी पौष्टिक फल, दूध आदि आवेदक/आहत द्वारा लिया गया होगा अतः इस मद में भी आवेदक की उपचार अवधि को दृष्टिगत रखते हुये वह उचित राशि पाने का पात्र है, अतः **विशेष पोषण आहार** की मद में **कुल 10,000/–रू.** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

43. आहत/आवेदक को दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में अस्थिभंग होना

अभिलेख से प्रमाणित होता है तथा वह भर्ती रहा है। उक्त समस्त इलाज में आवश्य रूप से आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हुआ होगा। अतः आई चोटो की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसें **शारीरिक व मानसिक कष्ट व पीडा** के मद में भी **रूपये 90,000/–** प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति में दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

44. आवेदक द्वारा अपने आवेदन में अपनी आय समुचित साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की है, जिससे उसकी एक मजदूर की आय मानी जाये तो आहत/आवेदक को दुर्घटना में आई चोटो की प्रकृति तथा भर्ती रहने की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए वह कोई कार्य भर्ती अवधि एवं पश्चात् लगभग चार माह तक नहीं कर सका होगा, जिससे **आय की हानि** के मद में **20,000/– रू.** दिलवाया जाना उचित है।

45. न्यायदृष्टांत **''आर0डी0हट्टंगडी विरूद्ध पेस्ट कंट्रोल (इंडिया)–प्रायवेट लिमिटेड व अन्य 1995– (1)–ए0सी0जे0–पेज 366''** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मताभिव्यक्ति की गई है, उसके आलोक में सामान्य व विशेष नुकसानी के लिए आवेदक पृथक–पृथक राशि पाने की पात्र है। अतः विभिन्न मदों के तहत निम्नानुसार राशि आवेदक रूपेन्द्र को संयुक्ततः व पृथक्कतः अनावेदक कमाक 1 लगायत 3 से प्रतिकर के रूप में दिलाई जाती है–

क्र0	मद	राशि	
		अंको मे	राशि शब्दों में
1	आहत को अटेण्डर व्यय की मद में	10,000/- रूपये	दस हजार रूपये
2	स्पेशल डाईट आहार–पोषण की मद में	10,000/- रूपये	दस हजार रूपये
3	परिवहन व्यय की मद में	5,000/- रूपये	पांच हजार रूपये
4	शारीरिक व मानसिक कष्ट व पीड़ा की मद में	90,000/- रूपये	नब्बे हजार रूपये
5	चिकित्या व्यय की मद में	97,000/- रूपये	सनतानवे हजार रूपये
6	आय की हानि के मद में	20,000/- रूपये	बीस हजार रूपये
	योग	**कुल 2,32,000/- रूपये**	**दो लाख बत्तीस हजार रूपये**

46. अनावेदक क. 3 की ओर से यह प्रतिपरीक्षण एवं साक्ष्य पेश की गई है कि घटना दिनांक के पूर्व आहत रूपेन्द्र द्वारा दुर्घटनाकारक वाहन को अनावेदक क. 2 आनंद अग्रवाल से कय कर लिया गया था जिससे वह तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं

आता और वह दावा नहीं कर सकता। उक्त स्थिति के संबधं में आवेदकगण द्वारा प्रतिपरीक्षण में इंकार किया गया है। उक्त स्थिति के संबंध में अनावेदकगण की ओर से सुरेन्द्र (अना0सा0–1) अनावेदक क्र. 2 आनंद अग्रवाल (अना0सा0–2) तथा बीमा कंपनी के सहायक मनीष मीना (अना0सा0–3) को परीक्षित करवाया है। उक्त साक्षियों में से आनंद अग्रवाल (अना0सा0–2) द्वारा यह दर्शाया गया है कि घटना दिनांक को वाहन उसके नाम से पंजीबद्ध था तथा वह बीमा धारक भी था। बीमा कंपनी की ओर से इस साक्षी को विस्तृत प्रतिपरीक्षित किया गया है। उक्त तीनों साक्षियों के कथन से यह स्थिति अभिलेख पर स्पष्ट होती है कि घटना दिनांक को वाहन का पंजीकृत स्वामी रूपेन्द्र न होकर आनंद अग्रवाल है। उभयपक्ष के मध्य यदि कोई संव्यवहार हुआ भी हो तो इस संबंध में जो व्यक्ति परिवहन कार्यालय में पंजीकृत स्वामी के रूप में पंजीकृत हो उसी को स्वामी माना जायेगा। माननीय न्यायदृष्टांत **Naveen Kumar v. Vijay Kumar and ors., 2018 ACJ 677 (SC)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि **Section 2 (30) of the Act provides that it is the registered owner, whom Parliament has regarded as the owner of the vehicle and not the transferee owner – The liability stands fastened on the registered owner – A claimant for compensation ought not to be burdened with following a trail of successive transfers, which are not registered with the registering authority.** माननीय न्यायदृष्टांत **HDFC Bank Ltd. v. Kumari Reshma and ors., AIR 2015 SC 290 (3- Judge Bench)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि **Who is the owner of a motor vehicle especially in case of hire-purchase agreement? Held, a person in whose name a motor vehicle stands registered is the owner of the vehicle and in case of hire-purchase agreement or an agreement of hypothecation, the person in possession of the vehicle under the agreement is the owner. (ii) Who is liable to pay compensation where vehicle is subject to hire-purchase agreement? If the vehicle is insured, the insurer is liable to pay compensation otherwise the person in possession of the vehicle under such agreement is liable to pay compensation.** माननीय न्यायदृष्टांत **Bharat Singh & anr. v. Madan Kunwar & ors. I.L.R. (2013) M.P. 2859** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि **For the purpose of section 168 of the Motor Vehicles Act, 1988, a person in whose name a motor vehicle stands registered in the R.T.O. on the date of accident can only be described as "owner".** उक्तानुसार घटना दिनांक को रूपेन्द्र (आ0सा0–3) दुर्घटनाकारक वाहन में मालिक की हैसियत से यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि एक यात्री के रूप में था।

47. परिणामतः **क्लेम प्रकरण क. 920/17 के वादप्रश्न कमांक–3** के संबंध में यह प्रमाणित है कि दुर्घटना के समय उक्त वाहन अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी में बीमित था। अतः **क्लेम प्रकरण क. 920/17 के वादप्रश्न कमांक–3** का निष्कर्ष **''हॉ, प्रमाणित''** के रूप में दिया जाता है तथा **क्लेम प्रकरण क. 920/17 के वादप्रश्न कमांक–5** का निराकरण ''सकारात्क रूप से'' दिया जाता है तथा यह

निर्णित किया जाता है कि आवेदक रूपेन्द्र उपरोक्तानुसार अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः रूप से राशि **2,32,000/- (दो लाख बत्तीस हजार रूपये)** प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

48. आवेदकगण की ओर से तर्क किया गया है कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से ब्याज पाने की आवेदक अधिकारी है, जिससे 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाये। ब्याज के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय न्यायदृष्टांत **AIR 2003 SUPREME COURT 1817 Abati Bezbaruah** v. **Dy. Director General, Geological Survey of India and another** में यह अभिनिर्धारित किया है कि Interest, On compensation, Rate of interest, Depend upon the facts and circumstances of each case, There cannot be hard and fast rule in awarding interest. अन्य माननीय न्यायदृष्टांत **AIR 2004 SUPREME COURT 1581 National Insurance Co. Ltd v. Keshav Bahadur and others** में यह अभिनिर्धारित किया है कि Award of interest, Discretion Is to be exercised in case where claimant can claim same as matter of right. Simple interest on amount of compensation awarded at particular rate and from particular date - In circumstances retrospective enhancement of interest for default in payment of compensation together with interest payable thereon, not permissible as it amounts to imposition of penalty. माननीय न्यायलय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि Word "discretion" means exercise of discretion, which Cannot be arbitrary but must be result of judicial thinking.

49. माननीय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा विभिन्न माननीय न्यायदृष्टांतों में परिस्थितियों अनुसार 7 प्रतिशत से लेकर 9 प्रतिशत तक विभिन्न दर से ब्याज दिलवाया गया है जिसके संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत **AIR 2015 SC (Supp) 694 Kumari Kiran v. Sajjan Singh and others, AIR 2001 SUPREME COURT 485 S. Kaushnuma Begum and others v. The New India Assurance Co. Ltd. and others, AIR 2008 SUPREME COURT 2312 Dharampal and Ors v. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, AIR 2002 SUPREME COURT 2483 H. S. Ahammed Hussain and another v. Irfan Ahammed and another, Maqbool Pasha and another v. Irfan Ahammed and another** अवलोकनीय है। माननीय न्यायदृष्टांतों के मार्गदर्शन में वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में एवं वर्तमान ब्याज दर आदि को दृष्टिगत रखते हुये तथा उक्त 12 प्रतिशत अत्यधिक है अतः **8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दावा दिनांक से अदायगी तक** दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। आवेदन व्यय 1,000–00 रूपये दिलवाना उचित है। आवेदकगण नियमानुसार अभिभाषक शुल्क भी पाने के पात्र है। 3 माह में राशि जमा न करवाये जाने पर आवेदकगण को बड़ी हुई दर 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलवाना उचित है।

// क्लेम प्रकरण क. 685/17 के वादप्रश्न कमांक–5 पर निष्कर्ष //

50. उक्त अधिनिर्णय राशि जमा होने पर आवेदक क्र. 2 लगायत 7 उपरोक्तानुसार अधिनिर्णित प्रतिकर राशि में से **10–10 कुल 60 प्रतिशत** राशि एवं आवेदिका क्र. 1 श्रीमती रामकली को **40 प्रतिशत** राशि वितरित किया जाना उचित होगा। अतः **आवेदिका क. 1 रामकली** को प्राप्त राशि में से **20 प्रतिशत** उसके खाते के माध्यम से नगद तथा शेष राशि उसके नाम से तीन वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ''सावधि''जमा की जाना उचित होगा तथा **आवेदक क. 6 एवं 7** को प्राप्त राशि में से **5 प्रतिशत** उनके खाते के माध्यम से नगद तथा शेष राशि उनके नाम से तीन वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ''सावधि''जमा की जाना उचित होगा तथा **आवेदक क. 2 लगायत 5** को प्राप्त **10–10 प्रतिशत** राशि 10 वर्ष अथवा उनके वयस्क होने पर जो भी बाद में हो, की अवधि के लिये आवेदिका क्र. 1 श्रीमती रामकली को संरक्षक मानते हुये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ''सावधि''जमा की जाना उचित होगा। उक्त जमा राशि पर न तो किसी प्रकार का भार सृजित किया जाये और न ही ऋण या अग्रिम स्वीकृत किया जाये। उनके नाम से सावधि जमा की जावे तथा पश्चात् में उन्हें आवेदकगण को मय ब्याज अदा किया जावे।

51. अतः आवेदकगण के पक्ष में अनावेदक क्र. 1 लगायत 3 के विरूद्ध संयुक्त एवं प्रथकतः निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि :–

01	अनावेदक क्र. 1 लगायत 3 संयुक्ततः एवं पृथक्ततः आवेदकगण को **15,67,000/– (पन्द्रह लाख सढषठ हजार रुपये)** रुपये प्रतिकर एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 19.05.17 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तथा प्रार्थना पत्र खर्च 1,000/– रुपये अदा करें। अंतरिम रूप से प्रदत्त कोई अनुतोष उक्त राशि में समयोजित किया जायेगा।
02	अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अनुसूची अनुसार अथवा प्रमाण–पत्र अनुसार (जो भी न्यून हो) अदा किया जाये।
03	अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी आज से 03 माह के भीतर उक्त अनुसार राशि 8 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करावें और यदि 03 माह के बाद भी अनावेदकगण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो उक्त अधिनिर्णित राशि पर 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित जमा करावें।
04	उक्त अधिनिर्णय राशि जमा होने पर आवेदक क्र. 2 लगायत 7 उपरोक्तानुसार अधिनिर्णित प्रतिकर राशि में से **10–10 कुल 60 प्रतिशत** राशि एवं आवेदिका क्र. 1 श्रीमती रामकली को **40 प्रतिशत** राशि वितरित किया जाना उचित होगा। अतः **आवेदिका क. 1 रामकली** को प्राप्त राशि में से **20 प्रतिशत** उसके खाते के माध्यम से नगद तथा शेष राशि उसके नाम से तीन

	वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ''सावधि''जमा की जाना उचित होगा तथा **आवेदक क. 6 एवं 7** को प्राप्त राशि में से **5 प्रतिशत** उनके खाते के माध्यम से नगद तथा शेष राशि उनके नाम से तीन वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ''सावधि''जमा की जाना उचित होगा तथा **आवेदक क. 2 लगायत 5** को प्राप्त **10–10 प्रतिशत** राशि 10 वर्ष अथवा उनके वयस्क होने पर जो भी बाद में हो, की अवधि के लिये आवेदिका क. 1 श्रीमती रामकली को संरक्षक मानते हुये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ''सावधि''जमा की जाना उचित होगा। उक्त जमा राशि पर न तो किसी प्रकार का भार सृजित किया जाये और न ही ऋण या अग्रिम स्वीकृत किया जाये। उनके नाम से सावधि जमा की जावे तथा पश्चात् में उन्हें आवेदकगण को मय ब्याज अदा किया जावे।
05	मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 168 (2) के प्रावधान अनुसार अधिनिर्णय की प्रतिलिपि पक्षकारों को शीघ्र 15 दिवस के अंदर प्रदान की जावे।

''खर्च तालिका बनायी जाए''
दावा अंशतः स्वीकार किया जाता है।

<u>—: क्लेम प्रकरण क. 920/17 के वादप्रश्न कमांक—6 पर निष्कर्ष :—</u>

52. उक्त विवेचना के आधार पर आवेदक रूपेन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिकर दावा अनावेदकगण क्रमांक 01 लगायत 03 के विरूद्ध स्वीकार करते हुए उक्त अनावेदक के विरूद्ध निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है कि —

1. अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथक्ततः आवेदक रूपेन्द्र को **<u>2,32,000/- (दो लाख बत्तीस हजार रूपये)</u>** रुपये प्रतिकर एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 28.07.17 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तथा प्रार्थना पत्र खर्च 1,000/— रुपये अदा करें। अंतरिम रूप से प्रदत्त कोई अनुतोष उक्त राशि में समयोजित किया जायेगा।

2. अनावेदक क. 3 बीमा कंपनी आज से 03 माह के भीतर उक्त अनुसार राशि 8 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करावें और यदि 03 माह के बाद भी अनावेदकगण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो उक्त अधिनिर्णित राशि पर आवेदन दिनांक से 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जमा करावें।

3. आवेदक के चिकित्सकीय व्यय हो दृष्टिगत रखते हुये अधिरोपित जमा प्रतिकर राशि आवेदक को खाते के माध्यम से नगद दिलाई जावे।

4. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार एक हजार रूपये की सीमा तक या जो कम हो देय होगा।

''तद्नुसार व्यय सूची बनाई जावे ''

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया ।

(गौतम भट्ट)
सदस्य
सत्रहवे अपर मो.दु.दावा अधिकरण
ग्वालियर म0प्र0

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(गौतम भट्ट)
सदस्य
सत्रहवे अपर मो.दु.दावा अधिकरण
ग्वालियर म0प्र0

GAUTAM BHATT
Digitally signed by GAUTAM BHATT
Date: 2021.12.13 16:57:20 +0530